दिल्ली दंगा मामले में वकीलों की नियुक्ति पर पेच

कैबिनेट ने खारिज किया दिल्ली पुलिस का प्रस्ताव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

दिल्ली दंगा मामले में वकीलों की तैनाती को लेकर टकराव पैदा हो गया है। मामले में उपराज्यपाल की सलाह के बाद मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस की ओर से प्रस्तावित पैनल को खारिज कर दिया है। कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पर अदालत की तरफ से किए गए सवालों का संज्ञान लिया और साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस के पैनल से निष्पक्षता की उम्मीद रखना संभव नहीं है। दस दिन पहले ही इस मामले में उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर सरकार के पैनल पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था।

दिल्ली दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों का पैनल नियुक्त करने को लेकर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। दिल्ली कैबिनेट का मानना है कि दंगों के संबंध में दिल्ली पुलिस की जांच को कोर्ट ने निष्पक्ष नहीं माना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी देने से मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार उप राज्यपाल की इस बात से सहमत है कि यह मामला बेहद महत्त्वपूर्ण है। इस कारण दिल्ली सरकार ने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि दिल्ली दंगे के लिए बेहतरीन वकीलों का निष्पक्ष पैनल गठित किया जाए।

बैठक में यह भी तय हुआ कि दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा पैदा करने के लिए जो भी दोषी हैं, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी निर्दोष को परेशान या दंडित नहीं किया जाना चाहिए। कैबिनेट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायधीश सुरेश कुमार ने दिल्ली दंगे के संबंध में दिल्ली पुलिस पर टिप्पणी की थी कि दिल्ली पुलिस न्यायिक प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर रही है। सत्र कोर्ट ने भी पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट में भी दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए थे। इस स्थिति में दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को मंजूरी देने से दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच पर संदेह था।

कैबिनेट का मानना है कि वकील के पैनल का फैसला करने के मामले में उपराज्यपाल का बार-बार हस्तक्षेप करना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चार जुलाई, 2018 के अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उपराज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल सिर्फ दुर्लभ मामलों में कर सकते हैं। उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार से गठित पैनल पर असहमति जताते हुए, कैबिनेट में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था। हालांकि, सीआरपीसी के सेक्शन 24 में भी इस बात का जिक्र है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। संविधान के तहत उप राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है कि वह सरकार के किसी निर्णय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसे पलट सकते है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उप राज्यपाल इस अधिकार का इस्तेमाल दुर्लभ मामलों में ही कर सकते हैं। अन्यथा यह लोकतंत्र के खिलाफ है।

क्या है पूरा मामला

दिल्ली पुलिस ने तुषार मेहता और अमन लेखी सहित छह वरिष्ठ वकीलों को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़े 85 मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विशेष वकील नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस का यह प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया था और कहा था कि दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा और उनकी टीम इन मामलों में इंसाफ दिलाने के लिए सक्षम है। जिसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के गृह मंत्री द्वारा भेजे प्रस्ताव पर असहमति जताई और अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस फाइल को समन किया। इसी फाइल के आधार पर दिल्ली के गृह मंत्री और उप राज्यपाल की बैठक हुई। इस बैठक में भी कोई निर्णय नही हो सका। जिसके बाद उप राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कैबिनेट में इस पर फैसला लेने के लिए कहा था।

दंगा मामले में नागरिकों ने केजरीवाल को लिखा पत्र

दिल्ली के सभी प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की स्वतंत्र जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन कराने की मांग की है। उनका मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से एकतरफा और राजनीतिक रूप से प्रेरित रिपोर्ट भी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के एकदम विपरीत है।

यही कारण है कि इस तरह के जांच के गठन की जरूरत को अतिआवश्यक बनाता है। यह दिल्ली की जनता में आत्मविश्वास की बहाली में सहायक होने के साथ ही उन दोषियों को दंडित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला कदम होगा।

अपने नेताओं को बचाने के लिए खारिज किया पैनल : भाजपा

दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को दिल्ली कैबिनेट ने खारिज कर दिया है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि दिल्ली दंगों में आरोपी आम आदमी पाटी पार्षद, विधायक और कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली दंगों की पूरी हकीकत जानती है और इसीलिए अपने पार्षद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। दंगों के दौरान पार्षद ताहिर हुसैन लगातार आम आदमी पाटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क में था।

दिल्ली सरकार के 'रोजगार बाजार' में टूट पड़े बेरोजगार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

बंद की वजह से बेरोजगार हुए लोगों के लिए रोजगार बाजार में दिल्ली सरकार को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस बाजार में दिल्ली सरकार के पास एक लाख से अधिक नौकरियां निजी क्षेत्र की मदद से सामने आई थी। नौकरियों के लिए मंगलवार देर रात तक 1.89 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है।

देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए 100903 नौकरियों के विकल्प थे। इन नौकरियों के लिए 1,89,879 लोगों ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री इस बात पर भी खुशी जाहिर की कि बड़ी संख्या में रोजगार देने वाली कंपनियां भी आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार की इस पहल से बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं को रोजगार देने के लिए एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने यह पहल शुरू की है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इसके लिए दिल्ली सरकार के पोर्टल पर जाकर नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 'जॉब.दिल्ली.जीओवी.इन' पर सम्पर्क कर सकता है और अपना पंजीकरण करा सकता है। पहले दिन के शुरुआती घंटों में 51403 लोगों ने नौकरी के लिए पंजीकरण कराया था। एक दिन में यह आंकड़ा बढ़कर 1.89 लाख से अधिक हो गया है।

मंदिर के निर्माण की जानकारी नींव में कालपात्र में रखने की कोई योजना नहीं : ट्रस्ट महामंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

अयोध्या में राम मंदिर की नींव में कालपात्र (टाइम कैप्सूल) रखे जाने के तथ्यों का राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खंडन किया है। मंदिर निर्माण का पूरा इतिहास एक कालपात्र में दर्ज कर नींव में रखने के एक अन्य सदस्य कामेश्वर चौपाल के बयान पर राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने सफाई देते हुए कहा है कि एसी कोई योजना न थी और न ही है।

बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम पांच अगस्त को होने जा रहा है। इस बीच खबर आई कि राम मंदिर की नींव में 200 फीट नीचे कालपात्र रखा जाएगा। कालपात्र को जमीन में दबाने का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को गुजरे हुए कल के बारे में तथ्य बताने का होता है। ताकि अगर कोई गलतफहमी हो तो कालपात्र को निकाल कर जानकारी ली जा सके। यह एक कंटेनर की शेप में होता है और खास सामग्री से बनाया जाता है। यह हर मौसम और हर तरह की परिस्थितियों में सुरक्षित रहता है।

Nestlé Good Food, Good Life

NESTLÉ INDIA LIMITED
EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2020

(₹ In million)

THREE MONTHS ENDED (Un-audited)				PARTICULARS	SIX MONTHS ENDED (Un-audited)		Accounting Year ended (Audited)
30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019			30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019
30,504.8	33,252.7	30,008.5	1	TOTAL REVENUE FROM OPERATIONS	63,757.5	60,038.0	123,689.0
6,522.7	7,038.5	6,590.9	2	NET PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS AND TAX	13,561.2	13,597.0	26,734.9
6,522.7	7,038.5	6,590.9	3	NET PROFIT BEFORE TAX	13,561.2	13,597.0	26,734.9
4,866.0	5,254.3	4,377.9	4	NET PROFIT AFTER TAX	10,120.3	9,005.3	19,684.4
4,576.4	4,904.1	4,255.3	5	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (COMPRISING NET PROFIT AFTER TAX AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX)	9,480.5	8,783.6	18,136.7
964.2	964.2	964.2	6	PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL (FACE VALUE – ₹10 PER SHARE)	964.2	964.2	964.2
50.47	54.50	45.41	7	EARNINGS PER SHARE (EPS) BASIC/ DILUTED EPS (₹)	104.97	93.40	204.16

The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of the Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.nestle.in) and on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com).

Notes:

1. **First time adoption of Ind AS 116 Leases**

The Company has adopted Ind AS 116 Leases w.e.f. 1 January 2020 with a transition date of 1 January 2019, replacing the existing standard Ind AS 17 Leases. The Company adopted this standard using the full retrospective method, accordingly previous periods figures have been restated to make them comparable.

Reconciliation of Profit reported for previous periods to Restated Profit after adoption of Ind AS 116 Leases is as under:

(₹ In million)

PARTICULARS	THREE MONTHS ENDED	SIX MONTHS ENDED	Accounting Year ended
	30.6.2019	30.6.2019	31.12.2019
Profit for the period as reported in accordance with Ind AS 17	**4,378.4**	**9,011.2**	**19,695.5**
a) Recognition of depreciation on ROU assets	(133.2)	(267.5)	(537.9)
b) Recognition of finance cost on lease liabilities	(21.1)	(44.0)	(92.9)
c) De-recognition of operating lease expenses	153.7	303.7	615.8
Tax Impact on above	0.1	1.9	3.9
Restated profit for the period in accordance with Ind AS 116	**4,377.9**	**9,005.3**	**19,684.4**

2. Tax Expense for both the Quarter and the Six-Month Period ended 30 June 2020 has been computed at the rates introduced by the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019, dated 20 September 2019. Net Profit after Tax and Earnings per share have been positively impacted by the lower tax rates.

THE ABOVE RESULTS AND THIS RELEASE HAVE BEEN REVIEWED BY THE AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD AND APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS AT THEIR MEETING HELD ON 28 JULY 2020.

By Order of the Board

Date: 28 JULY 2020
Place: Gurugram

Suresh Narayanan
Chairman and Managing Director

The Extended 'Nestlé Family'

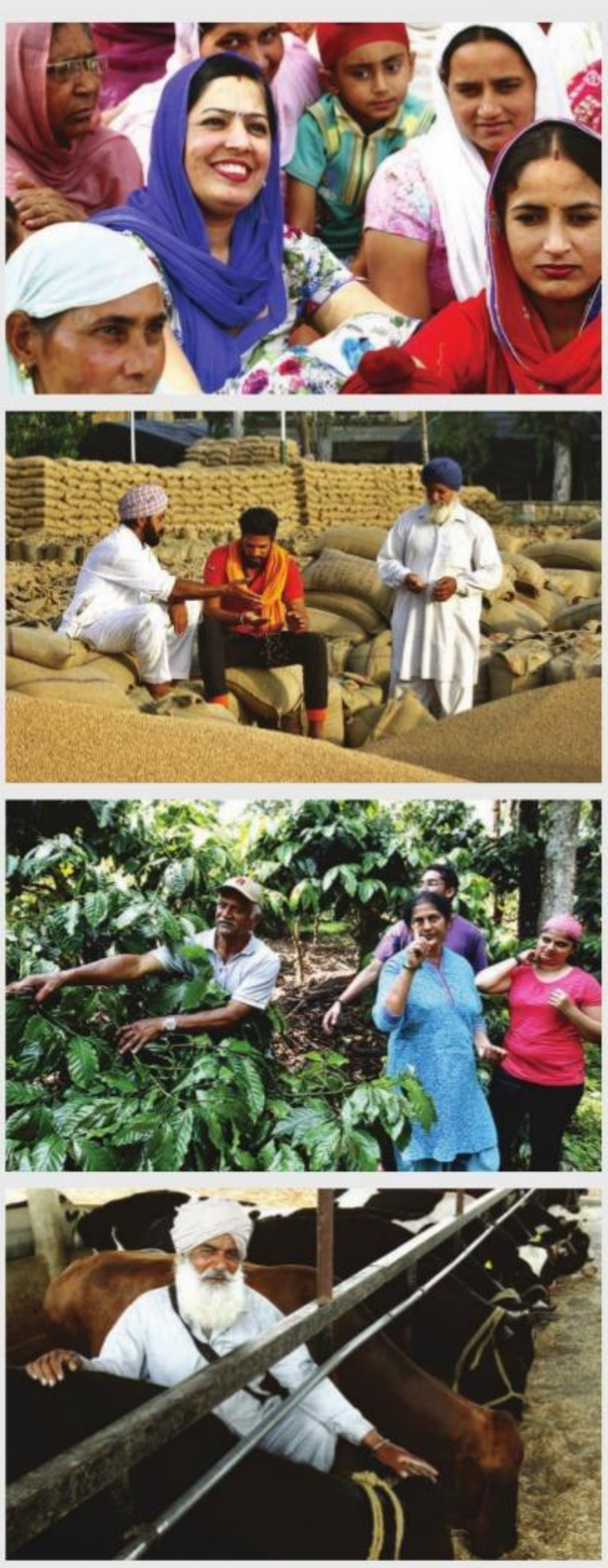

Head Office: Nestlé House, Jacaranda Marg, M Block, DLF City Phase – II, Gurugram 122 002 (Haryana), Registered Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi – 110 001
Corporate Identity Number: L15202DL1959PLC003786, Email ID: investor@in.nestle.com, Website: www.nestle.in, Phone: 011-23418891, Fax: 011-23415130

www.readwhere.com